| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी / एलआर / 2211 / 2006 / जालोर<br>अमिया बनाम छोगा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री लाधूराम पुनियां, अभिभाषक प्रार्थी।

**निर्णय**

दिनांक 23–12–2024

यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवड़ा तहसील सांचौर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 840, 841, 846, 848, 714, 814, 827, 837, 861, 866, 839 कुल किता 11 कुल रकबा 307 बीघा 18 बिस्वा भूमि का मूल खातेदार गैना पुत्र रूगा था। गैना द्वारा बंटवारे का एक दस्तावेज निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया गया तथा उसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 155 एवं 156 उसके पुत्रों काजा एवं छोगा के नाम स्वीकार किये गये। गैना के खाते में अन्य भूमि खसरा नंबर 841 मिन 837, 839 रकबा 109 बीघा 14 बिस्वा थी, जो गैना के फौत होने पर उसके तीसरे पुत्र रूपा के नाम से जरिये नामांतरकरण संख्या 264 के दर्ज की गई। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध प्रार्थी/वादी अमिया पत्नी गैना द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी, सांचौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी, सांचौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13–4–2005 द्वारा प्रार्थी अमिया द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर मानकर खारिज कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–12–2005 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि स्व गैना द्वारा धारित पैतृक खातेदारी भूमि पर गैना के जीवनकाल में अपीलार्थीनी का 1/8 हिस्सा खातेदारी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी / एलआर / 2211 / 2006 / जालोर<br>अमिया बनाम छोगा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | में बन चुका था तथा स्व0 गैना द्वारा अपने पुत्रों व अपने बीच विभाजन करने पर विभाजन में भी वह अपना हिस्सा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारिणी हो गई थी, उसको पक्षकार बनाये बिना तथा उसकी सहमति के बिना स्व0 गैना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई भी विभाजन विलेख निष्पादित ही नहीं किया जा सकता था एवं इस प्रकार का विभाजन विलेख निष्पादित कर भी दिया गया है, तो उससे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भाग पर उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इस प्रकार विभाजन विलेख तथा उस आधार पर स्वीकर किये गये नामांतरकरण कानून में शून्य कार्यवाही है तथा इस प्रकार की कार्यवाही एवं आदेश कभी निरस्त किये जाने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को प्राप्त है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थिनी की अपील को केवल मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया। जबकि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार का मामला बिना गुणावगुण की जांच किये मियाद पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–2005 एवं ग्राम पंचायत, देवड़ा के नामांतरकरण संख्या 154, 155 एवं 264 निरस्त किये जावे।<br>5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया।<br>6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर), सांचोर के समक्ष एक अपील ग्राम पंचायत, देवड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या क्रमशः 154, 155 दिनांक 2–10–1975 एवं नामांतरकरण संख्या 264 दिनांक 4–9–1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवड़ा में स्थित विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिताजी ने अपने जीवनकाल में नामांतरकरण संख्या 155 भरा गया, जो विधिसम्मत है। साथ ही उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थिया अमिया द्वारा इसी भूमि को लेकर पूर्व में बंटवारे व इस्तकरार हक का वाद पेश किया गया था, जो बाद सुनवाई दिनांक 28–11–2002 को खारिज किया जा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी / एलआर / 2211 / 2006 / जालोर<br>अमिया बनाम छोगा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 13–4–2005 को प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा एक अपील अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–12–2005 द्वारा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया द्वारा इसी भूमि बाबत् एक वाद संख्या 56 / 2000 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 28–6–2002 को खारिज हो चुका था। उसके पश्चात् लगभग 2 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष उसी विवादित आराजीयात बाबत् पुनः अपील प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया गया एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत मानते हुए प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील विधिसम्मत तरीके से खारिज की है। ऐसे समवर्ती निष्कर्षो में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है–

**"84. Power of Board to call for records and revise orders** – The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board if the court or officer by whom the case was decided appears to have exercised a jurisdiction not vested in it or him by law, or to have exercise jurisdiction so vested, or to haveacted in the exercise of its or his jurisdiction illegally or with material irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit."

उक्त धारा के प्रावधानों के मध्य नजर आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तथ्यात्मक, विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो के आधार पर पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

7– उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर )

सदस्य